# विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर–452003

आदेश क्रमांक 261/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक **w0523322** 

विषय: - अतिरक्त बिल के संबन्ध में।

श्रीमती वर्षा सूद,

25, आजाद नगर,

उज्जैन म.प्र.,

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग मप्रपक्षेविविकंलि. उज्जैन,

----उत्तरदाता

–परिवादी

<u>आदेश</u> (आज दिनांक 27.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से श्रीमती वर्षा सूद, उपस्थित। विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री ऋषी कुमार कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

### परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका सर्विस कनेक्शन क्रमांक N3856008340, स्वीकृत भार 95.0 HP है। में श्रीमती वर्षा सूद 2014 से नियमित उपभोक्ता हूँ मुझे पहली बार ताजपुर वितरण केन्द्र से राशि रू. 238771 / — का अतिरिक्त बिल का नोटिस प्राप्त हुआ है जिसकी मुझे पूर्व में किसी भी प्रकार की मीटर में फेस बंद होने की कोई भी सूचना एवं लिखित नोटिस प्राप्त नही हुआ था। मेरे इस मीटर में कब से त्रुटि है मुझे इसकी भी कोई सूचना नही दी गई थी। अतः महोदय से नम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में जमा देयक बिलो का विवरण देखकर एवं विद्युत खपत का रिकार्ड विगत 2—3 साल का रिकार्ड देखकर इस अतिरिक्त बिल को निरस्त करने की कार्यवाही करे। में हमेशा से समय पर बिल इत्यादि ईमानदारी से बिल जमा करती आ रही हूँ। कृपया मेरे पूर्व की खपत को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त बिल निरस्त करने की कृपा करे।

परिवादी द्वारा अतिरिक्त जवाबदावा प्रस्तुत किया है:-

1. मै आप की वष 2009 से उपभोक्ता हूँ यह कनेक्शन मेरे द्वारा 95HP का गाँव चक्कजयरामपुर तहसील व जिला, उज्जैन , में स्टोन क्रेशर प्लांट चलाने हेतु लिया गया था जिसका IVRS- N3856008340, है।

- 2. शुरू से आज तक में बिल का समय अवधि के अर्न्तगत भुगतान करती आई हूँ। अब मुझे ताजपुर वितरण केन्द्र की और से 30,360 यूनिट का अतिरिक्त बिल जिसकी राशि रू. 2,38,771 / — का अतिरिक्त बिल का नोटिस प्राप्त हुआ जो कि फेस मिसिंग का बताया गया है।
- 3. मुझे मौखिक रूप से बताया गया कि आप के यहा MRI की गई थी जिसमें फेज मिसिंग पाया गया जिसका यह अतिरिक्त बिल दिया जा रहा है, इस MRI करने की मुझे या मेरे स्टाफ को कोई सूचना उस समय नही दी गई एवं मौके पर किसी भी प्रकार का कोई पंचनामा नही बनाया तथा मुझे यह भी ज्ञात नही है कि MRI हुई भी है या नही।
- 4. आप से निवेदन है कि मेरे पूर्व 10 वर्षों का रिकार्ड देखने पर आप को ज्ञात हो जाएगा कि मेरी बिजली खपत व राशि एक जैसी ही आ रही है। इस MRI की डिमांड बिना मेरी जानकरी के मुझको दी गई है अगर मीटर में कोई त्रुटि थी तो उसी समय अवगत नहीं कराया गया।
- 5. अतः श्री मान जी से निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में जमा देयक बिलो का विवरण देखकर एवं विद्युत खपत का रिकार्ड देखकर इस अतिरिक्त बिल को निरस्त करने की कृपा करे। परिवादी ने परिवाद के साथ पत्र क्रमांक 1896 दिनांक 20.07.2022, बिल माह जनवरी—22, फरवरी—22, मार्च—22 अप्रैल—22 मई—22 जुलाई—22 के देयको की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

#### विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा लेख किया गया है कि, उपभोक्ता श्रीमती वर्ष सूद उपभोक्ता क्रमांक N3856008340, पर स्थापित मीटर क्रमांक 9023986 पर म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. के ATR पोर्टल पर माह दिसम्बर—21 में करंट विदाउट वॉलटेज R फेज पर टेम्पर में इन्दौर AMR सेल द्वारा दिया गया था जिसकी STM संभाग उज्जैन की AMR टीम द्वारा दिनांक 12.01.2022 को चेक किया गया एवं भौतिक रूप से मीटर में R फेज पर 31 AMP करंट पाया गया जबिक R फेज पर मीटर में वॉल्टेज 0 वॉल्ट पाया, या उक्त R फेज में पी.टी. पाइंट पर कार्बन जमा होने की वजह से मीटर में R फेज पर वॉल्टेज नहीं आ रहा था एवं R फेज उपभोक्ता द्वारा उपयोग करने के बाद भी R फेज की खपत मीटर में दर्ज नहीं हो पा रही थी। कार्बन साफ करने के उपरांत मीटर में R फेज का वॉल्टेज पुनः सहीं से आने लग गया था। उपभोक्ता के मीटर में उक्त R फेज करंट विदाउट वॉल्टेज दिनांक 12.08.2021 से 12.01.2022 तक रहा जिसकी छूटी हुई अतिरिक्त यूनिट की बिलिंग उपभोक्ता मीटर के लोड सर्वे अनुसार जिससे R फेज पर लगातार 50 AMP में आसपास का करंट की खपत दर्ज हुई है के अनुसार संलग्न प्रपत्र अनुसार कुल 30360 यूनिट की अतिरिक्त बिलिंग की गई। उक्त जानकारी श्रीमान की ओर प्रेषित है।

संलनः—1. कन्जुमर रिपोर्ट 2. सर्वे रिपोर्ट

# विधिक प्रावधान :-

म.प्र.विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अध्याय आठ की कण्डिका 8.44 के अनुसार :— 8.44 जिस अवधि में मापयन्त्र (मीटर) कार्यरत नहीं रहता हो, उस अवधि के लिए विद्युत प्रभार की वसूली हेतु देयक निम्न प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाएगा

(क) यदि प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) उपलब्ध हो तो उक्त वाचन (रीडिंग) का उपयोग खपत के आकलन हेतु किया जा सकेगा।

- (ख) ऐसे प्रकरण में जहां मुख्य मापयंत्र (मेन मीटर) दोषपूर्ण हो तथा प्रतिपरीक्षण मापयंत्र (चेक मीटर) स्थापित न किया गया हो या दोषपूर्ण पाया गया हो तो प्रदाय की गई विद्युत मात्रा का निर्धारण पूर्व तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के आधार पर किये गये मापयन्त्र वाचन के मासिक औसत के आधार पर लिया जाएगा। तथापि, यदि मापयन्त्र संयोजन तिथि से तीन माह के भीतर दोषपूर्ण होना पाया जाता हो तो विद्युत की मात्रा का आकलन नवीन मापयंत्र द्वारा तीन मापयंत्र वाचन—चक्रों की औसत मासिक खपत के आधार किया जा सकता है, जो इस प्रतिबन्ध के अन्तर्गत किया जा सकेगा कि यदि अनुज्ञप्तिधारी के मतानुसार प्रश्नाधीन माह के अन्तर्गत उपभोक्ता की स्थापना के अन्तर्गत ऐसी परिस्थितियां हैं जो अनुज्ञप्तिधारी के साथ—साथ उपभोक्ता के लिये भी अन्यायपूर्ण थीं, उक्त अविध के दौरान प्रदाय की गई विद्युत की मात्रा का निर्धारण, अति उच्चदाब उच्चदाब प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारी के स्थानीय क्षेत्रीय वृत्त कार्यालय द्वारा व निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में वह स्थानीय क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी तथा निम्नदाब उपभोक्ता के प्रकरण में उपसंभाग के प्रभारी अधिकारी को अपनी अपील प्रस्तुत कर सकेंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अन्तिम होगा।
- (ग) अनुज्ञप्तिधारी, त्वरित उचित आकलन के अभाव में उपभोक्ता को पिछले तीन मापयन्त्र वाचन चक्रों के औसत मासिक आधार पर प्रावधिक देयक (प्रोविजनल बिल) जारी कर सकेगा जो बाद में किसी अनुवर्ती तिथि को पुनरीक्षण के अध्यधीन होगा।

#### फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :--

परिवादी को MRI फेज मिसिंग का 30360 यूनिट की अतिरिक्त राशि रू. 238771/— को निरस्त करने की मांग की है। विपक्ष ने कथन में बताया है कि मीटर क्रमांक 9023986 की AMR से मीटर में R फेज करंट विदाउट वोल्टेज दिनांक 12.08.2021 से 12.01.2022 तक रहा। जिसकी छूट्री हुई अतिरिक्त यूनिट की बिलिंग उपभोक्ता को की गई।

उभयपक्षों के कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि मीटर क्रमांक 9023986 की AMR अनुसार R फेज विदाउट वोल्टेज दिनांक 12.08.2021 ये 12.01.2022 तक पाये जाने पर एस.टी.एम. टीम द्वारा दिनांक 12.01.2022 को सुधार किया गया। विपक्ष ने मीटर में छूटी हुई अतिरिक्त यूनिट की बिलिंग को  $\frac{\text{VI COS }\Phi \times \text{DAYS} \times \text{HOURS}}{1000}$  से 30360 यूनिट का निकाल कर राशि रू. 238771 / — का अतिरिक्त देयक जारी किया है म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में मीटर में त्रुटीपूर्ण खपत दर्ज होने पर इस प्रकार से बिलिंग किये जाने का कोई प्रावधान नही है। इससे यह सिद्ध होता है कि मीटर ने त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज की है। जो कि विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार अतिरिक्त यूनिट की गणना कर बिलिंग नही किये जाने के कारण राशि रू. 238771 / — को निरस्त किया जाना चाहिये। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार माह मई—21, जून—21, जुलाई—21, की औसत खपत के आधार पर दिनांक 12.08.2021 से 12.01.22 तक की त्रुटिपूर्ण खपत को हटाते हुये संशोधित देयक जारी किया जाना चाहिये।

# फोरम का निर्णय :–

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारियों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :--

- 01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता हैं।
- 02 / अभिमत में उल्लेखानुसार, मीटर क्रमांक 9023986 की AMR अनुसार R फेज विदाउट वोल्टेज दिनांक 12.08.2021 ये 12.01.2022 तक पाये जाने पर एस.टी.एम. टीम द्वारा दिनांक 12.01.2022 को सुधार किया गया। विपक्ष ने मीटर में छूटी हुई अतिरिक्त यूनिट की बिलिंग को VI COS Φ×DAYS ×HOURS से 30360 यूनिट का निकाल कर राशि रू. 238771/- का

1000 अतिरिक्त देयक जारी किया है म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता 2021 में मीटर में त्रुटीपूर्ण खपत दर्ज होने पर इस प्रकार से बिलिंग किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि मीटर ने त्रुटिपूर्ण खपत दर्ज की है। जो कि विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार अतिरिक्त यूनिट की गणना कर बिलिंग नहीं किये जाने के कारण राशि रू. 238771/— को निरस्त किया जाता है। इसके स्थान पर विधिक प्रावधान 8.44 के अनुसार माह मई—21, जून—21, जुलाई—21, की औसत खपत के आधार पर दिनांक 12.08.2021 से 12.01.22 तक की त्रुटिपूर्ण दर्ज खपत को हटाते हुये संशोधित देयक जारी किया जावे।

03 / मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करें।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल के.कट्डर), (एन.एस.मंडलोई) (वीरेन्द्र कुमार गोयल) सदस्य सदस्य अध्यक्ष